

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर**  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-18/2017/ दिनांक:-

**आदेश**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2017 की पालना में श्रीमती गीता शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपकेन्द्र रामपुर धावाई, खण्ड करौली, जिला करौली, जिनकी जन्म तिथि 05.02.1964 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.10.1995 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत 01.01.2018 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 01.01.2018 अकार्य दिवस मानी जावेगी।

इनके विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस-18/2017/1837

दिनांक:- 01/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 8279 Pr.Sec./M&H/2017 दिनांक 20.12.2017 की अनुपालना में।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 2170 दिनांक 20.12.17 के संदर्भ में।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को उनके पत्रांक 2803 दिनांक 27.12.2017 के क्रम में।
8. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) एवं केस प्रभारी अधिकारी, करौली।
9. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड करौली, जिला करौली।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर